



फाइल नं0-71-3002(002)/21/2024-03

121/2026/1/1300436/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 17 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक- '2210-05-105-03-93' फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹0 50000.00 लाख (₹0 पाँच अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. वित्तीय नियमों, शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाय।
 2. स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
 3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
 4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
 6. यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,00,000 (रुपये पाँच अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050393 फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन मानक मद 31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अमेठी।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अमेठी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अमेठी।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।